

# कार्यपालक अभियंता का कार्यालय

## ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।

### अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना।

(मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजनामद)

ई- निविदा संख्या:- **RWD/SD/LATEHAR/04/2019-20**


दिनांक:- **10.10.2019**

#### 1. कार्य का नाम

क्र. सं.	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में)		निविदा शुल्क	अग्रधन की राशि	कार्य समाप्ति की तिथि	टेण्डर कॉल नं०
		अंक में	अक्षर में				
1	लातेहार जिला के महुआडांड प्रखण्ड अन्तर्गत पंचायत- चटकपुर में चटकपुर से पोटमाडीह के बीच बोहटा नदी पर पुल निर्माण।	533.30100	पांच करोड़ तैंतीस लाख तीस हजार एक सौ रूपये मात्र।	10,000.00 (दस हजार) रूपये मात्र।	10,70,000.00 (दस लाख सत्तर हजार) रूपये मात्र।	24 महिना	प्रथम

- वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि :- **14.10.2019**
- ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- **21.10.2019** अपराह्न **06:00** बजे तक।
- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार/मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रक्षेत्र, एफ0एफ0 पी0 भवन धुर्वा, राँची के कार्यालय में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि एवं समय **22.10.2019** अपराह्न **05:00** बजे तक।
- परिमाण विपत्र की राशि घट-बढ़ सकती है, तदनुसार परिमाण विपत्र का 02 प्रतिशत राशि अग्रधन की राशि के रूप में जमा करना होगा।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय **23.10.2019** पूर्वाह्न **02:00** बजे।
- निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:- कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।
- ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं०- **9801329233**
- निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार के पक्ष में भुगतये होगा, जो लौटाया नहीं जायेगा।
- किसी भी निविदाकार के यंत्र-संयंत्र एवं 'बिड' क्षमता के मापदण्डों पर प्रत्येक में सक्षम होने पर ही 'टेकनिकल' योग्यता पर विचार किया जायेगा।
- जिस संवेदक का विभाग में पूर्व आवंटित कोई कार्य लंबित है अथवा उनका कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है उन्हें कार्य आवंटन पर विचार नहीं किया जायेगा।
- किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के उपरान्त 'सबलेट' करना एकरारनामा शर्त का उल्लंघन होगा एवं समुचित सूचना प्राप्त होने पर एकरारनामा रद्द करते हुए संवेदक को काली सूची में डालने की कार्रवाई की जायेगी।
- किसी भी संवेदक को कार्य आवंटन के क्रम में उनके ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0वि0+मु0म0ग्र0से0यो0) के अन्तर्गत कुल कार्य भार के आलोक में उपलब्ध यंत्र-संयंत्र एवं वित्तीय क्षमता की सीमा तक नये कार्य आवंटन पर विचार किया जायेगा।
- निविदा प्राप्त करने के पूर्व स्थल निरीक्षण कर लिया जाय।
- अनुसूचित दर से 10% से अधिक नीचे की निविदा डालने पर निविदा मान्य नहीं होगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट [jharkhandtenders.gov.in](http://jharkhandtenders.gov.in) में देखा जा सकता है।



कार्यपालक अभियंता,  
ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, लातेहार।